राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2020 अपील

शंकरलाल जाट पुत्र मांगी लाल जाट निवासी सांगवा तहसील एवं जिला भीलवाडा

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी, भीलवाडा के आदेश प्रकरण सख्या 58/2014/2019/456 दिनांक 18.06.2019 एंव दिनांक 15.07.2019 को निरस्त कराने बाबत

उपस्थित –

1. अंबालाल कुमावत – प्रार्थी की ओर से
2. विभागीय पेरोकार, विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 9/03/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत आवेदन किया, जिस पर विपक्षी रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के पक्ष में प्राधिकार पत्र सख्या 948/2008 जारी किया गया था। अपीलार्थी ने उक्त उचित मूल्य की दूकान को पूर्ण लगन एंव निष्ठा ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुये गांव सांगवा में कार्य किया गया। लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 948/2008 को अपने आदेश कमांक 365 दिनांक 18.06.2019 के सम्बध में आदेश पारित करते हुये प्राधिकार पत्र सख्या 656/2001 को निरस्त करने का आदेश जारी किया, जिसके सम्बध में पुनः संशोधन आदेश दिनांक 15.07.2019 को रेस्पोडेन्ट द्वारा कमांक/रसद/प्रकरण सख्या 58/2014/2019/456 को अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र सख्या 656/2001 की जगह अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र सख्या 948/2008 को निरस्त किये जाने का संशोधन आदेश जारी किया गया। जो बिना समुचित सुनवाई के कारण विधि विरूद्ध एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। ऐसी सुरत में उक्त दोनो ही आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्राधिकार पत्र सख्या 948/2008 सांगवा के लिए जारी किया गया था। उक्त प्राधिकार पत्र बाबत आदेश दिनांक 18.06.2019 को प्राधिकार पत्र 656/2001 को निरस्त करने का मनमाना अवैध आदेश जारी किया गया था। जिसको दिनांक 15.07.2019

9.3.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को संशोधन आदेश द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। अपनाये उक्त आदेश मनमाना, अविवेक पूर्ण एंव बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया, जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी के उक्त प्राधिकार पत्र सख्या 948/2008 को निरस्त करने में रेस्पोडेन्टस द्वारा कानूनी प्रावधानो की पालना नहीं की हैं, उक्त संशोधन आदेश से पूर्व अपीलार्थी को जान बुझकर अन्धेरे में रखा गया था ताकि अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से महरूम हो जावें। अपीलार्थी को अपनी ओर से अपना पक्ष पेश करने का संमुचित एंव न्यायोचित अवसर नही दिया गया एंव न्यायिक एंव कानूनी प्रावधानो के विपरित जाकर उक्त आदेश पारित किया गया। जो निरस्त होने योग्य हैं। रेस्पोडेन्टस द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने बाबत की गई कार्यवाही के बारे में अपीलार्थी को सूचना, तलब तकाजा नहीं किया गया, केवल मात्र अपने स्तर पर ही कार्यवाही को अन्तिम रूप देकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जो अपीलार्थी के हितो व अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला होकर उक्त आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित हैं। आदेश क्रमांक 365 दिनांक 18.06.2019 के आदेश की प्रति अपीलार्थी को आज दिन तक प्राप्त नही हुई तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश की प्रति से अपीलार्थी को अन्धेरे में रखते हुये दिनांक 15.07.2019 को नया संशोधन आदेश पारित किया गया। जिसकी प्रति अपीलार्थी को जरिये डाक दिनांक 22.07.2019 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अचानक दिनांक 23.07.2019 से दिनांक 25.07.2019 तक राजकीय अवकाश होने यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही हैं। लेकिन आदेश दिनांक 18.06.2019 से अपील प्रस्तुत होने की दिनांक 25.07.2019 में हुए विलम्ब को कण्डोन हेतू मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र अलग से सलग्न हैं। अतः अपील को मियाद में ली जाना आवश्यक है अपील को विचाराणार्थ ग्रहण किया जाना फरमायें। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमांक 365 दिनाक 18.06.2019 व संशोधन आदेश दिनांक 15.07.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलाट के प्राधिकार पत्र सख्या 948/2008 को पुनः बहाल कराया जाने का आदेश पारित फरमावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2019 एंव दिनांक 15.07.2019 की कियान्वति स्थगित नही की गई तो उक्त आदेश के माध्यम से अपीलार्थी की दूकान का प्राधिकार पत्र अन्य को आंवटन कर दिया जायेगा। जिससे प्रार्थी/अपीलान्ट के हित प्रभावित होकर असहनीय क्षति उत्पन्न होगी। प्रार्थी/अपीलान्ट के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा। प्रार्थी/अपीलान्ट बेरोजगार हो जायेगा। प्रार्थी/अपीलान्ट के पास रोजी रोटी का उक्त दूकान के अलावा कोई विकल्प नही होने से उक्त आदेश की कियान्वति स्थगित कराया जाना न्यायोचित हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल अपील के निरस्तारण रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.06.2019 एंव दिनांक 15.07.2019 की कियान्वति पर स्थगन आदेश पारित फरमाया जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से मूल पत्रावली रिकॉर्ड पर ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली रिकॉर्ड पर है। विधिवत परीक्षण किया गया।

विभागीय पेरोकार ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी ने डीएसओ के आदेश 365/18.06.2019 व संशोधित आदेश 456/15.07.2019 को चुनौति दी है। संशोधित आदेश में मात्र प्राधिकार पत्र में 656/2001 के स्थान पर 948/2008 पढा जाने का आंशिक संशोधन किया गया। मूल आदेश से शंकरलाल जाट का प्राधिकार निरस्त कर दिया गया क्योंकि शंकरलाल जाट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.3.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण 58/2014 का निर्णय 13.06.2019 को पारित कर दिया गया। दौराने बहस विभागीय पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2019 व अपने दलीलों से यह कथन रखा है प्रार्थी 1 साल की छुट्टी स्वास्थ्य खराब होने से चाह रहा था जबकि राजस्थान खाघान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 में डीलर द्वारा छुट्टी लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्राधिकार पत्र की शर्त 9 के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक कलक्टर द्वारा नियम कारोबार के घण्टों का पालन करने एवं ठीक समय पर दुकान खोलने का प्रावधान है। अनियमित्ता होने से प्रकरण दर्ज किया गया। जारी नोटिस दिनांक 26.09.2014 के संबंध में प्रार्थी ने आदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे तत्समय यह प्रतीत हुआ कि प्रार्थी राशन डीलर का काम करने का इच्छुक नहीं है। राशन विक्रेता संघ भीलवाडा ने प्रार्थी की पत्नि का सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होकर कार्य करने का अवगत कराया। खाघ विभाग के निर्देशानुसार परिवार का सदस्य जनप्रतिनिधि होने पर उचित मूल्य दुकान की दुकान का आवंटन निरस्त किया जाकर विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। साथ ही डीलर करीबन 4 वर्ष से अवकाश पर चल रहा है इस कारण अवकाश निरस्त किया जाकर लाइसेन्स निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। प्रोसेस सरवर तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2016 में यहा यह तक अंकित है कि प्रार्थी ने नोटिस ले लिया किन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रोसेस सरवर ने 04.01.2017 को नोटिस दिया तब प्रार्थी की ओर से पत्र लिया गया। प्रार्थी के घर पर नहीं मिलने पर नोटिस प्रोसेस सर्वर,तहसीलदार भीलवाडा ने चस्पा दो गवाहों के मौजुदगी में चस्पा कराया। निवेदन है कि उपरोक्त तथ्य से अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें।

प्रकरण में दस्तावेज अवलोकन व बहस पर मनन पश्चात् यह पाया गया कि प्रार्थी शंकरलाल जाट को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद भी, प्रार्थी ने राजस्थान खाघान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनिमय) आदेश,1976 के खण्ड 6, प्राधिकार पत्र की शर्तों एवं वितरण मानक नियमों का उल्लंघन किया है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के प्र०स 58/2014 निर्णय दिनांक 13.06.2019 के क्रम में आदेश दिनांक 18.06.2019 व संशोधन आदेश दिनांक 15.07.2019 यथावत रखा जाता है। डीएसओ को निर्देश दिया जाता है कि नियमों के अनुसार संबंधित आरोपी के खिलाफ कार्यवाही संपादित कर, इस न्यायालय को पालनार्थ एक प्रति भिजवाई जाए।

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा